

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: सुश्री अन्जु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 96/2021

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र गौतम चरपोटा, निवासी निचला पातेला, सदस्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पातेला में स्कुल डेवलपमेन्ट एवं मैनेजमेंट समिति का सदस्य, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
2. मणिलाल पिता हवजी, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
3. गणेश पिता गलिया, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
4. कैलाश पिता मोतिया, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
5. धना पिता कमजी, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. थानिया पिता गलिया, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।


—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना
सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय नियम 1984)

निर्णय

दिनांक 29.5.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आप श्री आवंटन अधिकारी (एस.डी.ओ. साहब) गढ़ी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा दिनांक 31.12.2001 को अप्रार्थी थानिया के नाम आराजी नम्बर 543,544 में रकबा 0.08 हे० कृषि भूमि, वाके ग्राम जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में आवंटन की गई है। उक्त आवंटन आदेश से अप्रसन्न, असंतुष्ट व व्यथित होकर प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं कि, अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होकर आवंटन प्रावधानों के विपरित होने से काबिल निरस्ती है। अप्रार्थी को की गई आवंटन भूमि पूर्व में दिनांक 02.01.1990 को तत्कालिन कलेक्टर साहब के आदेश क्रमांक/एफ 2/30/राज. /86/1-2 दिनांक 02.01.1990 में उक्त भूमि के पुराने सर्वे नम्बर 13 कुल रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पातेला के नाम भवन व मैदान के लिये आवंटन की गई थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से उक्त आवंटनशुदा भूमि का स्कुल के नाम नामांतरण नहीं खोला गया है। उक्त कृषि भूमि पर कभी भी अप्रार्थी का कब्जा रहा है न ही उसने कभी काश्त की है एवं उक्त स्कुल के नाम से आवंटन की गई कृषि भूमि का पूर्व में सन् 1990 में सेटलमेंट के समय आराजी नम्बर 13 था तथा सेटलमेंट के बाद नया आराजी नम्बर 40 बना है उसके पास में लगी हुई अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि है। अप्रार्थी ने हल्का पटवारी से मिलकर गलत जांच रिपोर्ट कराकर जिसके हाल न. 543,544 आवंटन कमशः 04 व 0.4 हैक्टेयर कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि आवंटन कराई गई है, जिसका नया सर्वे नम्बर 8110/543 व 8111/544 बना है यह आवंटन विधि विरुद्ध है, क्योंकि यह भूमि आज भी स्कुल मैदान के रूप में प्रयुक्त है एवं इस भूमि पर अप्रार्थी द्वारा काश्त नहीं की गई है एवं केवल पेपर आवंटन किया गया है। उक्त भूमि आवंटन करने के पूर्व नियम 7 व 8 के अनुसार कोई आवंटन लिस्ट तैयार नहीं की गई है एवं आवंटन के पूर्व नियमानुसार कोई पब्लिकेशन नहीं करवाया गया है, इस आवंटन में


उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

नियमों की पालना नहीं की गई है, इसलिये अप्रार्थी का आवंटन काबिल निरस्ती है। इस आवंटन के संबंध में नियमानुसार कोई सूचना जारी नहीं की गई है तथा एक ही दिन में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 के तहत ताबडतोड आवंटन किया गया है और कोई जांच नहीं करवाई गई है तथा नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। आवंटन शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी को आज तक मौके पर उक्त भूमि का कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर आज तक कृषि नहीं की है, इस प्रकार आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जबकि नियमानुसार आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी को मौके पर कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया है और न ही कब्जा सुपूर्दगी के संबंध में आवंटन की शर्तों के अनुसार आप श्री उपखण्ड अधिकारी को कब्जा सुपूर्द करने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थी ने नियमानुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर तथा इसके शेष दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर खेती नहीं की है तथा न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की है, इसलिये अप्रार्थी का आवंटन काबिल निरस्ती है। उक्त आवंटन के लिये आवंटन पत्र आवंटित के लिये आवेदन पत्र आवंटित करने के लिये कोई उद्घोषणा जारी नहीं की है तथा चुपचाप एक ही परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही दोषपूर्ण की गई है। अप्रार्थी ने आवंटन आदेश कपटपूर्ण व दूष्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया है जो कि आप न्यायालय को किसी भी समय ऐसे आवंटन को निरस्त करने का कानूनन प्रावधान है माही एलोटमेंट आवंटन नियम 15 (5) (4) के प्रावधान अनुसार If it is the discover any time that any information submitted by any applicant is false or if any allottee fails to cultivate the land personally the entire land allotted may be resumenerd by the allotting authority without payment of compensation इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार गलत सूचना के आधार पर आवंटन कराता है तो ऐसा आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं आवंटन विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्ती है। प्रार्थी संख्या 01 उक्त रा.प्रा.वि. पातेला का स्कूल डेवलपमेन्ट एवं मैनेजमेंट समिति का सदस्य है तथा अन्य प्रार्थीगण के बच्चे उक्त विद्यालय में अध्ययन करते हैं एवं प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी आज से दो माह पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा गांव के लोगों पर स्कूल की जमीन हडपने बाबत झुठा दावा आप न्यायालय में पेश करने से प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी होने से उन्होंने राजस्व रेकॉर्ड की नकल प्राप्त की तब उन्हें ज्ञात हुआ कि, अप्रार्थी ने झूठे तथ्य पेश कर स्कूल आवंटनशुदा जमीन पर गलत व विधि विरुद्ध आवंटन करवाया है, इसलिये प्रार्थीगण स्कूल के पक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रार्थीगण के साथ नहीं होने से प्रार्थीगण स्वयं यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। अप्रार्थी को दिनांक 31.10.2001 को आराजी नम्बर 40 में से रकबा 0.08 हे० कृषि भूमि वाके ग्राम जौलाना में आवंटित की गई है जिसका नया सर्वे नम्बर 8110/543 रकबा 0.04 हे० व 8111/544 रकबा 0.04 हे० भूमि बना है, को निरस्त कराने प्रार्थना-पत्र पेश हुआ।


प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 31.5.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नियत की जाकर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना से रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार अरथूना के पत्रांक: राज./2024/75 दिनांक 23.01.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौजा जौलाना के आराजी नम्बर 8110/543, 8111/544 रकबा क्रमशः 0.04 हे०, 0.04 हे०, कुल कित्ता दो रकबा 0.08 हे० भूमि थानिया पुत्र गलिया जाति भील सा.देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त गैर खातेदार का मौके पर कब्जा काशत नहीं है तथा वर्तमान में उक्त भूमि खेल मैदान के प्रयोजन उपयोग में ली जाना अवगत कराया। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सूनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, अभिलेख तथा तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आदि का अवलोकन एवं प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर संक्षिप्त मनन किया जाने पर ज्ञात आया कि अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक तक काबिज होकर काशत नहीं की गई है तथा आवंटित की गई भूमि वर्तमान में खेल मैदान के प्रयोजन हेतु उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन शर्तों को पालना नहीं की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 थानीया पिता गलिया भी सा. देह गैर खातेदार के नाम पटवार हल्का जौलाना के मौजा जौलाना के तत्समय के सर्वे नम्बर 543 रकबा 0.04 हे० एवं सर्वे नम्बर 544 रकबा 0.04 हे० कुल किता 02 रकबा 0.08 हे० के जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की खाता संख्या 702 (नई) 669 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 8110/543 रकबा 0.04 हे०, सर्वे नम्बर 8111/544 रकबा 0.04 हे० कुल किता दो रकबा 0.08 हे० भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त सर्वे नम्बर 8110/543 रकबा 0.04 हे०, सर्वे नम्बर 8111/544 रकबा 0.04 हे० कुल किता दो रकबा 0.08 हे० भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.5.2024 को जारी किया गया।


(अन्सु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा